संख्या-577/2025/621/22-2-2023-17(1189)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 19 जून, 2025*

विषय:- जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मुन्नालाल अहिरवार पुत्र स्व0 गंगाराम अहिरवार, निवासी जनपद-झांसी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-1683/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-15-11-2022, दिनांक 18.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मुन्नालाल अहिरवार पुत्र स्व0 गंगाराम अहिरवार, 1158, लालकुर्ती, थाना- सदर बाजार, जनपद- झांसी का निवासी है। बन्दी 06 वर्षीय बच्ची के साथ गलत काम करता था, उसके गुप्तांग में उंगली करता और सीना भी दबाने की घटना कारित की गयी दिनांक 19.12.2017 को पीड़ित के दादाजी के लिखित तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गयी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-234/2018 भा0द0वि0 की धारा-5(एम)/6 पॉस्को एक्ट व 506 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश, पास्को/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-07, झाँसी के आदेश दिनांक 16.09.2018 द्वारा 10 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है, बंदी द्वारा दिनांक 21.03.2022 तक अपरिहार 02 वर्ष, 06 माह, 06 दिन तथा 04 वर्ष, 09 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक झांसी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की उम्र 53 वर्ष, बन्दी द्वारा अपरिहार 02 वर्ष, 06 माह 06 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष, 09 माह 20 दिन की भोगी गयी सजा, बन्दी द्वारा 06 वर्षीय बच्ची के साथ कारित जघन्य अपराध की प्रकृति तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मुन्नालाल अहिरवार (बन्दी संख्या-871/19) पुत्र स्व0 गंगाराम अहिरवार, निवासी जनपद-झांसी की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-577/2025/621(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, झांसी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, झांसी।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in